

F.No. 31011/3/2006-Estt.(A)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pension
Department of Personnel & Training

New Delhi, dated 7th February, 2007

OFFICE MEMORANDUM


Subject :- LTC (All India in block of 4 years) in combination with transfer/tour TA-Mode of Regularisation.

The undersigned is directed to say that as per instructions contained in Ministry of Home Affairs OM No. 43/15/59-Estt(A) dated 19.7.1960, LTC (Home Town) may be availed in combination with transfer/tour. The question of extending this facility to All India LTC (anywhere in the country in a block of 4 years) has been considered and it has been decided that the provisions of the aforesaid OM dated 19.7.1960 will also be applicable for All India LTC availed in combination with transfer/tour.

2. Tour T.A. and transfer T.A. shall be regulated in terms of relevant instructions of Ministry of Finance.

3. These orders will take effect from the date of issue but claims which were pending on the date of issue may be regulated under these orders. Past cases in which decisions have already been taken will not be re-opened.

4. In so far as the personnel serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders have been issued after consultation with the Comptroller and Auditor General.



(C.A. Subramaniam)
Director

To

All Ministries and Department of Government of India

Copy To:-

1. Comptroller and Auditor General of India, New Delhi.
2. Union Public Service Commission, New Delhi.
3. Central Vigilance Commission, New Delhi.
4. Central Bureau of Investigation, New Delhi.
5. All Union Territory Administrations.
6. Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariat.
7. All attached and Subordinate Offices of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions and Ministry of Home Affairs.
8. All Officers and Sections of Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions and Ministry of Home Affairs.


(C.A. Subramaniam)
Director

नई दिल्ली, दिनांक: 7 फरवरी, 2007

कार्यालय ज्ञापन

विषय: स्थानांतरण/दौरान यात्रा भत्ता के साथ (4 वर्ष के ब्लॉक में अखिल भारत) एल.टी.सी. - नियमन का तरीका।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि गृह मंत्रालय के दिनांक 19.07.1960 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-43/15/59-स्था.(क) में निहित अनुदेशों के अनुसार एल.टी.सी. (गृह नगर) स्थानांतरण/दौरा के साथ लिया जा सकता है। इस सुविधा को अखिल भारत एल.टी.सी. (4 वर्ष के ब्लॉक में देश में कहीं पर भी) तक बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया गया है तथा यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 19.07.1960 के कार्यालय ज्ञापन में किए गए प्रावधान स्थानांतरण/दौरा के साथ लिए गए अखिल भारतीय एल.टी.सी. के लिए भी स्वीकार्य होंगे।

2. दौरा यात्रा भत्ता तथा स्थानांतरण यात्रा भत्ता वित्त मंत्रालय के संबंधित अनुदेशों के अनुसार विनियमित किए जाएंगे।

3. ये आदेश जारी होने की तिथि से लागू होंगे परंतु जो दावे इसके जारी होने की तिथि को लम्बित हैं, उन्हें भी इस आदेशों के अंतर्गत विनियमित किया जाएगा। ऐसे पिछले मामलों, जिनमें निर्णय पहले ही लिया जा चुका है, उन्हें पुनः नहीं खोला जाएगा।

4. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में कार्यरत कार्मिकों का प्रश्न है, ये आदेश नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के साथ परामर्श करके जारी किए गए हैं।

(सी.ए. सुब्रमणियम)

निदेशक

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।

प्रतिलिपि:

1. नियंत्रक एवम महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
2. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
3. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
4. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली।
5. सभी संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन।
6. लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय।
7. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय के सभी सम्बद्ध अधीनस्थ कार्यालय।
8. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय के सभी अधिकारी तथा अनुभाग।

(सी.ए. सुब्रमणियम)

निदेशक